74

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 646—दो/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08—12—2008 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 63/2006—2007/अपील

.....

1— गंगाराम पुत्र चैना साहू,

2— सरस्वती बाई पुत्री चैना साहू पत्नी रामलाल साहू

निवासीगण—ग्राम ओण्डेर, परगना मुंगावली,

जिला—अशोकनगर, म0प्र0

3— नर्वदीबाई पुत्री चैना साहू, पत्नी स्व0 बारेलाल साहू

निवासी— ग्राम पेकलोन, तह0 कुरवाई

जिला—विदिशा

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— हटेसिंह पुत्र सनमान सिंह

2— फूलसिंह पुत्र सनमान सिंह

3— दशरथ सिंह पुत्र खिलन सिंह दांगी

4— बलराम सिंह पुत्र खिलनसिंह दांगी

5— रामसिंह पुत्र खिलन सिंह दांगी

सभी निवासी— ग्राम ओण्डेर, परगना मुंगावली,

जिला—अशोकनगर, म0प्र0

6— मिथलेश बाई पुत्री खिलनसिंह दांगी,

पत्नी देशराजसिंह दांगी

निवासी—ग्राम महना, तह0 खुरई, जिला—सागर

7— मालती बाई पुत्री खिलनसिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह

निवासी— ग्राम सिमरिया, तह0 खुरई,जिला—सागर, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री अनिल कुमार जैन, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 63/2006–2007/अपील में पारित आदेश दिनांक 08–12–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदकगण द्वारा दीवानी दावा भूमि सर्वे क्र0 467 रकबा .0857 है0, सर्वे क्र0 565 रकबा 1.3529 है0 स्थित ग्राम ओण्डेर, तह0 मुंगावली, जिला–अशोकनगर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 एवं 3 लगायत 7 के पिता के विरूद्ध स्वत्व घोषण एवं कब्जा वापिसी हेतु आवेदन पत्र व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, मुंगावली द्वारा प्र0क्र0 100ए/79 इ0दी0 पंजीबद्ध किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 24.01.84 को डिक्री किया गया, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 04.01.90 को न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुना द्वारा निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 2 एवं 3 लगायत 7 के पिता द्वारा द्वितीय अपील प्र0क्र0 25/90 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.95 को सर्वे क्र0 467 बावत दावा निरस्त करते हुये आंशकि रूप से स्वीकार की गई तथा सर्वे नं0 565 बावत पारित डिक्री की पुष्टि की गई । अनावेदक ने अवैध रूप से नामांतरण पंजी क्र0 89 में आदेश दिनांक 09.05.96 के द्वारा अपना नाम अंकित करा लिया । आवेदकगण द्वारा इसी नामांतरण आदेश के विरूद्ध अपील मय धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के समक्ष प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 29.11.2006 के द्वारा स्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 08.12.2008 के आदेश के द्वारा स्वीकार की गई तथा अनुविभगीय अधिकारी, मुंगावली के द्वारा पारित आदेश के निरस्त किया

गया । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2008 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपील स्वीकार करने के जो कारण दिये हैं वे सर्वथा गलत है । अतः अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपर आयुक्त ने आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि विधान आवेदन पत्र सदभावनापूर्ण न होना मानने की भूल की है । जबकि आवेदकगण ने धारा 5 अवधि विधान के आवेदन–पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि खसरे की आवश्यकता होने पर दिनांक 06.01.2005 को आवेदकगण द्वारा नकल शाखा को आवेदन–पत्र दिया था, तथा खसरे की नकल बमुश्किल दिनांक 07.05.2005 को अभिलेख प्राप्त होने पर दी गई । नकल प्राप्त होने पर आवेदकगण को नामांतरण पंजी क्रमांक 89 आदेश दिनांक 09.05.96 की जानकारी सर्वप्रथम हुई की आवेदकगण के स्थान पर अनावेदकगण का नाम अंकित किया गया है । आवेदन पत्र में वर्णित कारण को देखते हुये धारा 5 अवधि विधान आवेदन–पत्र स्वीकार होने योग्य था । धारा 5 अवधि विधान में वर्णित कारणों की अनदेखी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई । अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 25/90 द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 03.08.95 की विवेचना गलत की है, एवं धारा 5 अवधि विधान आवेदन–पत्र इस आधार पर अमान्य किया है कि पक्षकारान के मध्य विवाद माननीय उच्च न्यायालय तक चले है, उक्त आधार गलत है । जबकि नामांतरण पंजी कमांक 89 में सुधार करने के पुर्व आवेदकगण को नियम 27 के तहत सुचना देना, विज्ञप्ति प्रकाशित करना, मुनादी कराना आदि आज्ञात्मक था। तथा हितबध्द व्यक्ति को नामांतरण पंजी में परिवर्तन करने के पुर्व द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 25/90 में पारित आदेश दिनांक 03.08.95 के द्वार आवेदकगण का दावा सर्वे नम्बर 467 बावत् निरस्त किया गया था । आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क में यह भी बताया कि अनावेदकगण को सर्वे नम्बर 467 का भूमिस्वामी नहीं माना गया था। अतः उक्त आदेश के पालन में नामांतरण पंजी कमांक 89 में किया गया सुधार अवैध एवं गलत था। इस बिन्दु पर अपर आयुक्त ने विचार नहीं किया है। इस कारण आदेश निरस्त होने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदकगण द्वारा अपने तर्क में उल्लेख किया है, कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में कानून की गलत व्याख्या

है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विचारण न्यायालय के आदेश को प्रक्रिया के अनुरूप माना गया है, इसमें विधिवत रूप से नामान्तरण आदेश पारित हुआ है । नामान्तरण आदेश व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में किया गया है, और व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण का कोई स्वत्व उपरोक्त भूमि में नहीं पाया गया है । ऐसी स्थिति में जो आदेश अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित किया गया है स्थिर रखे जाने योग्य है। जहॉ तक आवेदक की ओर से उक्त पैरा में जो न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये है वह वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण और न्यायदृष्टांत में दिये गये निर्णयों की परिस्थितियॉ भिन्न– भिन्न है, ऐसी स्थिति में उक्त न्यायदृष्टांत से आवेदकगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्क के आधार एक में कथन अस्वीकार है। आवेदकगण द्वारा अपने तर्क में उल्लेख किया है कि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को अन्दर अवधि में माना गया है इस तथ्य पर अपर आयुक्त द्वारा विचार नहीं किया गया है, जबकि वास्तवतिकता यह है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में जो प्रथम अपील आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत की गई थी। ऐसी स्थिति में अधिक समय पश्चात प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टि में ही निरस्त किये जाने योग्य थी । क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत 1992 आर.एन. 289 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि धारा 5 व्याप्ति–अधिकारिता की प्रकृति–वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अधिकार के रूप में हक्दान नहीं है –पर्याप्त कारण का सबूत–अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है– न्यायालय अपनी अन्तनिर्हित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा जा सकता। इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में उक्त तथ्य पर विधिवत विचार करने के पश्चात आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है । अनावेदकगण के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में यह भी बताया कि आवेदकगण द्वारा आधार 41 नियम 27 जा0दी0 के अन्तर्गत सर्वे नं. 467 बावत् भू–अधिकार श्रण पुस्तिका, सिंचाई पुस्तिका एवं सिंचाई की रसीद, सिंचाई बिल प्रस्तुत किये है । जो रिकॉड पर लिया जाना प्रकरण के लिये आवश्यक है । जबकि वास्तविकता यह है कि अनावेदक की ओर से आवेदक के उक्त आवेदन पत्र का विधिवत जवाब प्रस्तुत कर दिया है । तथा बताया गया है कि उक्त दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जा सकते, क्योंकि उपरोक्त

ग में जो आदेश पारित किये गये है वह उस समय प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर और स्थिति में यदि नया दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो उपरोक्त प्रकरण की दशा एवं दि परिवर्तति हो जायेगी । ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जा सकते, और न ही उन पर कोई विचार किया जा सकता । ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्क में अस्वीकार है । अनावेदकगण की ओर से निवेदन है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा एक विस्तृत एवं सकारण आदेश पारित किया है, जिसमें प्रत्येक बिन्दु पर विचार किये जाने के पश्चात आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के न्यायालय का आदेश विधिवत एवं उचित होनें से स्थिर रखे जाने योग्य है । अतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किया जावे ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये और प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि इस मामले में मुख्य रूप से यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील समयावधि में है? अभिलेख से यह तथ्य प्रकट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.96 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.05.2005 को 9 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है । धारा 5 के आवेदन में जानकारी प्राप्त होने का दिनांक 07.05.2005 बताया गया है, जबकि आलोच्य विवाद के संबंध में उभयपक्ष के मध्य विवाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्र.क्र. 25/1990/ द्वितीय अपील आदेश दिनांक 30.08.95 के द्वारा अंतिम रूप से निराकरण किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में धारा 5 का आवेदन सदभावना पर आधारित प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक ने विलम्ब का जो कारण दर्शाया है वह समाधनकार नहीं है और न ही उसके समर्थन में ठोस साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्टतः अवधि बाहृय है । 1992 आर.एन. 289 (उच्च न्यायालय) में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जब कोई अपील समय वर्जित हो तब अपील न्यायालय को अंतर्निर्हित शक्ति के अधीन समय वर्जित अपील सुनी जा सकती है ।

6 अनुविभागीय अधिकारी, मुगांवली के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाहृय है और उससे सुनने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है । इसलिय अनुविभागीय अधिकारी, मुगांवली के द्वारा पारित किया गया आदेश विधि अनुकूल नहीं कहा जा सकता । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अपने आदेश 08.12.2008 में अनुविभागीय अधिकारी के

पारित आदेश को निरस्त किया है । मेरे मतानुसार अपर आयुक्त ग्वालियर ने जो आदेश पारित किया है वह विधिसंगत है । अतएव आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2008 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है। प्रकरण समाप्त होकर अभिलेख दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर